उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग-2
संख्या-16/2015/172 ई-2/तेरह-2015-55/2013
लखनऊ::दिनांक 16 मार्च,2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-4, सन् 1910) की धारा-30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, और सरकारी अधिसूचना संख्या-288 ई-2/तेरह-2014-55/2013, दिनांक 19 फरवरी,2014 का अधिक्रमण करके राज्यपाल आदेश देते हैं कि दिनांक 1 अप्रैल,2015 से, देशी शराब पर नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिफल फीस आधारभूत लाइसेंस फीस के अतिरिक्त अधिरोपित किया जायेगा।

अनुसूची

देशी शराब पर प्रतिफल फीस की दरें

क्रमांक	देशी शराब	प्रतिफल फीस की दर प्रति बल्क लीटर
1	36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)	रू0 227.00
2	42.8 प्रतिशत वी/वी (मसाला)	रू0 269.88
3	28 प्रतिशत वी/वी (सादा/मसाला)	रू0 176.55
4	25 प्रतिशत वी/वी (मसाला)(विशेष श्रेणी)	रू0 72.00

आज्ञा से,
(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

Uttar Pradesh Shasan
Abkari Anubhag-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.16/2015/172 E-2/XIII-2015-55/2013, dated, March 16,2015 for general information.

NOTIFICATION

No.16/2015/172 E-2/ XIII -2015-55/2013
Lucknow::Dated 16 March,2015

In exercise of the powers under section 30 of the United Provinces Excise Act,1910 (U.P. Act no.IV of 1910) read with section-21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act,1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), and in supersession of Government Notification no. 288 E-2/XIII-2014-55/2013, dated February 19,2014, the Governor is pleased to order that with effect from April 1,2015 the consideration fee at the rates specified in the Schedule below, shall be imposed on country liquor in addition to basic licence fee.

SCHEDULE

Rates of consideration fee on Country liquor

S.No.	Country liquor	Rates of Consideration fee per B.L.
1	36% V/V (Spiced)	Rs. 227.00
2	42.8% V/V (Spiced)	Rs. 269.88
3	28% V/V (Plain/Spiced)	Rs. 176.55
4	25% V/V (Spiced)(Special Category)	Rs. 72.00

By order,
(Kishan Singh Atoria)
Pramukh Sachiv
Excise Deptt., U.P. Govt.